न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम–सह–विशेष न्यायाधीश पोक्सो, हाजीपुर, वैशाली।

SC/ST.S.CASE (GR) No-17/2024

गोरौल थाना काण्ड संख्या–540/2023

राज्य बनाम अजीत कुमार

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम–सह–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, हाजीपुर, वैशाली

उपस्थित : इन्द्राणी किस्कु, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम–सह–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो

निर्णय की तिथिः–17.01.2026

पाक्सो जी0 आर0 संख्या : 17/2024

गोरौल थाना कांड सं0–540/2023 दिनांक 15.12.2023

अभियोग–भा0द0वि0 की धारा 341/323/376/354B/500/506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4/12 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67/67A/67B एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(s)/3(2)(va) के अंतर्गत।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक	श्री मनोज कुमार शर्मा
सुचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री अर्जुन कुमार राय
अभियुक्त	अजीत कुमार, उम्र 24 वर्ष पिता–स्व0 रविन्द्र सिंह उर्फ नरेन्द्र कुमार साकिन–शाहपुर गौस उर्फ मझिया थाना–गोरौल (कटहरा ओ0पी0) जिला–वैशाली।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री अरविन्द सिंह

Web Copy not official

अपराध की घटना तिथि	11.12.2023
प्राथमिकी की तिथि	15.12.2023
आरोप पत्र की तिथि	29.02.2024
संज्ञान की तिथि	22.03.2024
आरोप गठन की तिथि	13.12.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	26.03.2025
निर्णय पर नियत की तिथि	05.01.2026
निर्णय की तिथि	17.01.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	19.01.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	अजीत कुमार
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	21.12.2023
जमानत पर मुक्त की तिथि	x
आरोप गठन की धारा	भा0द0वि0 की धारा 341/323/376/354B/500/506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4/12 तथा सूचना प्रौद्य ोगिकी अधिनियम की धारा 67/67A/67B एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(s)/3(2)(va) के अंतर्गत
दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दोषसिद्ध

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम–सह–विशेष न्यायाधीश पोक्सो, हाजीपुर, वैशाली।

SC/ST.S.CASE (GR) No-17/2024

गोरौल थाना काण्ड संख्या–540/2023

राज्य बनाम अजीत कुमार

दण्डादेश	भा0द0वि0 की धारा 323 अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए तीन माह के साधारण कारावास की सजा देती है। न्यायालय दोषसिद्ध अभियुक्त अजीत कुमार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दो वर्ष एक माह के कठिन कारावास एवं दो हजार रूपया जुर्माना देने का आदेश देती है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त पंद्रह दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। उपरोक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान कारावास में बिताई गई अवधि को सजावधि में समायोजित किया जाएगा। जुर्माना से प्राप्त राशि का भुगतान पीड़िता को किया जाएगा।
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	दो वर्ष उनतीस दिन

Web Copy not official

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अभियोजन साक्षी संख्या–01	पीड़िता	
अभियोजन साक्षी संख्या–02	पीड़िता की मां	
अभियोजन साक्षी संख्या–03	डॉ0 मीरा सिंह	चिकित्सक साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–04	पीड़िता के पिता	
अभियोजन साक्षी संख्या–05	पीड़िता की चाची	
अभियोजन साक्षी संख्या–06	डॉ0 अफताब अहमद	चिकित्सक साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–07	पीड़िता की भाभी	
अभियोजन साक्षी संख्या–08	संदीप कुमार	अनुसंधानकर्ता

ख–बचाव पक्ष साक्षी

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी संख्या–01	बलराम सिंह	
बचाव साक्षी संख्या–02	जिमदार सहनी	

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–1	अभियोजन साक्षी संख्या–01 द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 164 के

		बयान पर अपना हस्ताक्षर
02	प्रदर्श–2	अभियोजन साक्षी संख्या–01 द्वारा जप्ती सूची पर अपना और अपने पिता का हस्ताक्षर
03	प्रदर्श–3	अभियोजन साक्षी संख्या–01 द्वारा लिखित में शारीरिक जांच कराने की असहमति के साथ अपना हस्ताक्षर
04	प्रदर्श–x	अभियोजन साक्षी संख्या–01 द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के अपने अंक पत्रक की छायाप्रति
05	प्रदर्श–4	अभियोजन साक्षी संख्या–01 द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के अपने अंक पत्रक की मूल प्रति
06	प्रदर्श–5	अभियोजन साक्षी संख्या–03 द्वारा पीड़िता के चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन पर अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर
07	प्रदर्श–6	अभियोजन साक्षी संख्या–03 द्वारा दंत चिकित्सीय रिक्युजिषन पर अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर
08	प्रदर्श–7	अभियोजन साक्षी संख्या–03 द्वारा पीड़िता के दंत चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन पर डॉ0 दीपक कुमार सिन्हा की लिखावट एवं हस्ताक्षर
09	प्रदर्श–8	अभियोजन साक्षी संख्या–04 द्वारा लिखित आवेदन पर देवेन्द्र की लिखावट एवं उसपर अपना हस्ताक्षर
10	प्रदर्श–9	अभियोजन साक्षी संख्या–04 द्वारा प्रस्तुती–सह–जप्ती सूची पर अपना, अपनी पत्नी और पीड़िता का हस्ताक्षर
11	प्रदर्श–10	अभियोजन साक्षी संख्या–06 द्वारा सुचक के चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन पर अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर
12	प्रदर्श–11	अभियोजन साक्षी संख्या–08 द्वारा औपचारिक प्राथमिकी पर गोरौल थाना के थानाध्यक्ष मनोज कुमार की लिखावट एवं हस्ताक्षर
13	प्रदर्श–12	अभियोजन साक्षी संख्या–08 द्वारा सुचक के लिखित आवेदन पर कटहरा ओ0पी0 अध्यक्ष जयप्रकाश के अग्रसारण तथा उसपर गोरौल थाना के थानाध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए हस्ताक्षर
14	प्रदर्श–13	अभियोजन साक्षी संख्या–08 द्वारा अभियुक्त अजीत कुमार के विरूद्ध समर्पित आरोप पत्र संख्या–57/2024 दिनांक 29.02.2024 पर अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर

Web Copy not Official

ख–बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद के अभियुक्त अजीत कुमार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम–सह–विशेष न्यायाधीश पोक्सो, हाजीपुर, वैशाली।

SC/ST.S.CASE (GR) No-17/2024

गोरौल थाना काण्ड संख्या–540/2023

राज्य बनाम अजीत कुमार

341/323/376/354B/500/506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4/12 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67/67A/67B एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(s)/3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए विचारण किया जा रहा है।

2. अभियोजन का वाद गोरौल थाना के थानाध्यक्ष को सूचक द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार इस प्रकार है कि दिनांक 11.12.2023 को समय रात 12 बजे में मैं अपने घर में सपरिवार सोये हुए थे तो तभी अचानक अजित कुमार एवं दो आदमी जिसको रात्रि होने के कारण पहचान में नहीं आया, सभी लोग मिलकर मेरे बेटी, पुतोह एक साथ सोई हुई थी उस रूम में दरवाजा तोड़ कर घुस गया। मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा तभी शोर सुनकर मैं अपनी बेटी बहु को बचाने गया तो अजित कुमार ने अपने हाथ में लिए लोहे के रड से मेरे उपर वार किया जिससे मेरा सर फट गया एवं अन्य अज्ञात जो दो लोग थे उनके पास दो–दो हथियार था और साथ में धमकी दे रहे थे किसी को बताओगे या शोर करोगे तो जान से मार देंगे। सूचक के इस लिखित आवेदन के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341/324/307/354B/506/34 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r)(s) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानोपरांत अभियुक्त अजीत कुमार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341/323/376/354B /500/506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67/67A एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r)(s)/3(w)(i)/3(2)(va) के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–57/2024 दिनांक 29.02.2024 समर्पित किया गया, जिसके आधार पर दिनांक 22.03.2024 को अभियुक्त अजीत कुमार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341/323/376/354B/500/506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4/11 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 67/67A/67B एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r)(s)(w)(i)/3(2)(v)(va) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को पुलिस प्रतिलिपि प्राप्त कराई गई।

3. दिनांक 13.12.2024 को अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341/323/376/354B/500/506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4/12 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67/67A/67B एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(s)/3(2)(va) के अंतर्गत आरोपों का गठन कर उसका सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे सुनकर अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों से इन्कार किया एवं वाद विचारण की मॉग किया।

4. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान लिया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुये घटना कारित करने से इन्कार किया है।

5. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल हो पाया है ?

मंतव्य

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ साक्षियों – अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता, अभियोजन साक्षी संख्या–2 पीड़िता की मां, अभियोजन साक्षी संख्या–03 डॉ0 मीरा सिंह (चिकित्सक साक्षी), अभियोजन साक्षी संख्या–04 पीड़िता के पिता, अभियोजन साक्षी संख्या–05 निर्मला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–06 डॉ0 अफताब अहमद (चिकित्सक साक्षी), अभियोजन साक्षी संख्या–07 विक्की कुमारी तथा अभियोजन साक्षी

संख्या–8 संदीप कुमार (अनुसंधानकर्ता) का परीक्षण कराया गया है। साथ ही चौदह कागजातों को प्रदर्श चिन्हित कराया गया है।

7. बचाव पक्ष की ओर से दो साक्षी बचाव पक्ष साक्षी संख्या–1 बलराम सिंह तथा बचाव पक्ष साक्षी संख्या–2 जीमदार सहनी का परीक्षण कराया गया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता मुख्य परिक्षण में कहती हैं कि घटना का एक साल चार महिना हो गया है। घटना सुबह करीब पॉच बजे की है। मैं शौचालय करने गई। जंगल में अजीत छुपा था। अजीत के पिता का नाम नरेन्द्र सिंह है। अजीत मेरे ही गॉव का है। अजीत जंगल में छुपा हुआ था मुझे पकड़ लिया और बोला कि मेरे साथ गलत करो। पकड़ लिया और पिस्तौल भिड़ा कर कपड़ा फाड़ दिया और बोला कि गलत करो मेरे साथ नहीं तो मार देगें। गलत करके विडियो बनाया। उसके आगे धमकी दिया। आसपास घुम रहा था धमकी दे रहा था। फिर ग्यारह तारीख को घर में अजीत आया, दरवाजा तोड़ा। मेरे घर पर बारह बजे रात में आया। मेरे साथ गलत करने का सोचा तो हम हल्ला की। हल्ला करने पर उसके साथ चार और पीछे से आ गया। चार लोग जो आया उसे मैं नहीं पहचानती हूँ क्योकिं वे लोग मूँह बॉधे हुए था। मैं हल्ला की तो मम्मी, पापा आए। मम्मी पापा को बोले तो छुड़ाया। मेरे पापा को रड से अजीत मारा। पापा को माथा पर चोट लगा। धमकाकर चला गया और विडियो वायरल कर दिया। भाई और पापा के मोबाइल पर विडियो भेजा है। फिर सुबह होकर थाना गए। थाना पर जाकर मेरे मम्मी–पापा आवेदन दिए। मुकदमा होने के बाद महिला दरोगाजी मुझसे पूछताछ किए थे और मैं सब बात बतलाई थी। दरोगाजी मेरा बयान लिखे थे और उसपर मैं अपना हस्ताक्षर बनाई थी और भाभी का भी हस्ताक्षर है एवं उसपर मम्मी निशान दी थी। मेरा बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। यह वही बयान है जिसे पढ़ समझकर उसपर अपना हस्ताक्षर बनाई थी। विशेष लोक अभियोजक द्वारा इसे प्रदर्श–1 अंकित कराया गया है। पीड़िता कहती है कि विडियो जो वायरल किया गया था उसका पेन ड्राईव में करके तैयार किया गया था और स्क्रीन सॉट का दरोगाजी जप्ती सूची तैयार किए थे। उस जप्ती सूची पर मैं और मेरे पिताजी दस्तखत किए थे, (प्रदर्श–2)। पीड़िता कहती है कि मेरा मेडिकल जॉच सदर अस्पताल हाजीपुर में हुआ था और उसपर लिखकर दी थी कि मैं अपना शारीरिक जॉच नहीं करवाना चाहती हूँ और अपना हस्ताक्षर बनाई थी(प्रदर्श–3)। पीड़िता कहती है कि मैं दरोगाजी को अनुसंधान के क्रम में अपने जन्मतिथि के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का अंक पत्रक की छायाप्रति दी थी। जिसपर मेरा जन्मतिथि दिनांक 22.07.2006 दर्ज है। आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का अंक पत्रक की मूल प्रति (प्रदर्श–4)दाखिल की हूँ। पीड़िता कहती है कि जो अभियुक्त इस तरह का घटना मेरे साथ किया उसे मैं पहचानती हूँ उसका नाम अजीत कुमार है। वह मेरे साथ दो बार इस तरह का घटना किया है। वह मेरे साथ बलात्कार किया। काराधीन अभियुक्त को वी0सी0 कैमरा से पहचान करवाने पर गवाह कहती है कि इसे मैं पहचानती हूँ इसका नाम अजीत कुमार पिता नरेन्द्र सिंह है। मैं रविदास जाति की हूँ। रविदास जाति अनुसूचित जाति में आता है। अभियुक्त अजीत कुमार कुर्मी जाति का है। प्रतिपरीक्षण में पीड़िता कहती है कि जिस दिन पुलिस मेरा बयान ली उस दिन मेरे मम्मी,पापा और भाभी उस जगह उपस्थित थे। मेरे साथ–साथ मेरे मम्मी, पापा और भाभी का बयान भी पुलिस ली थी। पुलिस को जब बयान दी थी तो उसमें मैं अपना जन्मतिथि नहीं बतलाई थी। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस को नहीं बतलाई थी कि घटना सुबह पॉच बजे की है और मैं शौच करने गई थी तो अजीत कुमार जंगल में छुपा हुआ था और हमें पकड़कर पिस्तौल भिड़ाकर मेरा कपड़ा फाड़ दिया। थाना जब गई थी तो मैं, मम्मी और पापा तीनों गए थे। घटना के कल सुबह होकर ग्यारह–बारह बजे गई थी। घटना का सारी बात मैं मम्मी–पापा को बतलाई थी और वही बात मम्मी–पापा लिखकर थाना में दिए थे। जो बात मम्मी–पापा को बतलाई थी और थाना में लिखकर दिया गया था वही बात मैं मजिस्ट्रेट साहब को बतलाई थी। वही बात दरोगाजी को अपने बयान में बतलाई थी। ऐसी बात नहीं है कि 11 तारीख को मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया गया था। मैं अपनी भाभी के साथ बिछावन पर सोई थी। लाईट बंद करके सोई थी। टॉटी का रूम है। चौकी पर सोई

हुई थी। मेरे घर में टॉटी का कुल दो रूम है। ऑगन भी है। बाहर से बाउन्ड्री किया हुआ है। वहाँ भी गेट लगा हुआ है। मेरा पापा और मम्मी एक रूम में सोए हुए थे। भाई नहीं था, बाहर था। भाई चेन्नई गया हुआ था। विडियो जो वायरल हुआ उस मोबाइल नंबर को दरोगाजी को बतलाए थे। भाई का मोबाइल नंबर याद नहीं है। पिताजी का मोबाइल नंबर मुझे याद है। भाई और पिताजी के मोबाइल के अलावे और किन–किन लोगों के मोबाइल नंबर पर विडियो वायरल किया गया है याद नहीं है। मेरे पिताजी मशीन चमरा ठोकने का मशीन कलकत्ता में चलाते हैं। मैं और मेरी मॉ गॉव में मजदूरी नहीं करती है। मैं नहीं जानती हूँ कि अजीत कुमार को गॉव में बहुत सारा जगह–जमीन है और उसमें तंबाकु उपजाता है। ऐसी बात नहीं है कि बहन की शादी में मेरे पिताजी अजीत के पिता से तीन लाख रूपया कर्ज लिए थे और वही तीन लाख रूपया का तगादा कर रहा था उसी कारण मेरे माता–पिता मेरे साथ साजिश कर गलत ढंग से अजीत कुमार को झूठे बलात्कार के केस में फंसा दिया और मैं झूठी गवाही दिया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि घटनातिथि के दिन मेरे साथ बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई थी और इसी कारण थाना पर जो लिखित आवेदन दिया गया था और उस आवेदन में पिताजी ऐसी घटना के बारे में नहीं बतलाया है। ऐसी बात नहीं है कि विडियो का पेन ड्राईव जो दिया गया था वह गलत ढंग से मेरे परिवार ने तैयार करवाकर दिया है।

<u>अभियोजन साक्षी संख्या–02</u> मुख्य परिक्षण में कहती हैं कि सुचक मेरे पति हैं तथा इस केस की पीड़िता मेरी बच्ची है। घटना आज से लगभग डेढ़ साल पहले की समय करीब बारह बजे रात की है। उस समय पीड़िता का उम्र लगभग सतरह साल था। बारह बजे रात में अजीत कुमार मेरे घर में घुसा। सब लोग सोए हुए थे। मेरी बहु और पीड़िता सोई हुई थी। अजीत घर में घुसा और पीड़िता का कपड़ा फाड़कर बलात्कार किया। अजीत पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता चिल्लाने लगी तब मैं, मेरी बहु और मेरे पति दौड़े। अजीत का बॉह पकड़े तो वह फैट चलाने लगा। अजीत कुमार मेरे पति का रड से कपाड़ फाड़ दिया। पति का इलाज कटहरा सरकारी अस्पताल में करवाया। सर फटा तो उससे खुन भी गिरा था। अजीत के साथ दो–तीन लड़का और भी था जिसे मैं पहचान नहीं पाई। मुकदमा होने के बाद दरोगाजी मुझसे पूछताछ किए थे और मैं सब बात बतलाई थी। महिला दरोगाजी पीड़िता से पूछताछ किए थे, मैं भी साथ में थी। महिला दरोगाजी पीड़िता से पूछताछ मेरे समक्ष किए थे उसपर पीड़िता पढ़ समझकर अपना हस्ताक्षर बनाई थी और मैं उसपर अपना निशान बनाई थी और पीड़िता की भाभी भी अपना हस्ताक्षर बनाई थी। पीड़िता का सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाज के लिए दरोगाजी ले गए थे। वहाँ पीड़िता लिखकर दी थी कि मैं अपना शारीरिक जॉच नही करवाना चाहती हूँ । उसपर मैं अपना अंगूठा का निशान बनाई थी। पीड़िता का जो विडियो वायरल हुआ था उस पेन ड्राईव का प्रस्तुति–सह–जप्ती सूची तैयार किया गया था उसपर भी मैं अपने पति और पीड़िता के समक्ष अंगूठे का निशान बनाई थी। मैं अभियुक्त अजीत कुमार को पहचानती हूँ। स्वतः कहती है कि पीड़िता चार बजे भोर में निसकार के लिए जाती है तो बच्ची को धर लिया, बलात्कार करने लगा। बोला कि बोलेगी तो तुम्हारे भाई और बाप को जान से मार देगें। मेरे घर के बगल में आकर बहुत परेशान करने लगा। हम जाकर बोले तो वह बोला कि विडियो वायरल हम कर देगे। मेरा लड़का और पति को बोला कि विडियो वायरल कर देगें और हमलोगों के मोबाइल पर विडियेा छोड़ दिया। मैं उस विडियो को देखी थी। वह विडियो पहले वाला घटना का था। प्रतिपरीक्षण में कहती है कि आज जो बयान दी हूँ वैसा बयान पहले दरोगाजी को दिए हैं। घटना होने के कल होकर सुबह करीब छः–सात बजे बयान दी हूँ। उसी दिन पीड़िता और बहु भी बयान दी थी। पीड़िता दस्तखत की थी और मैं अपना निशान बनाई थी। मेरे घर में दो रूम हैं। टॉटी का रूम है। बॉस का दरवाजा लगा हुआ है। जब हमलोग सोते हैं तो अंदर से बंद करके सोते हैं। लाईट बार/जला कर सोते हैं। पुतोहु वाला रूम में मैं, पीड़िता और पुतोहु सोई हुई थी। रूम में दो चौकीं है जो अलग–अलग है। एक बिछावन पर पुतोहु और बेटी सोई हुई थी और दूसरे पर मैं सोई हुई थी। जिस रूम में हम थे उसके आगे सटा दूसरा रूम है। उस दूसरे रूम में पति और मैं सोई हुई थी। मेरे द

ार के अगल–बगल में लगभग दस घर है। मेरे घर के पुरब में हरेन्द्र राम, शत्रुधन राम के घ ार के अलावे और का नाम नहीं बता सकती हूँ। हल्ला पर अजीत भागने लगा तो अगल–बगल के घर वालों में से कोई नहीं आया था। रूम में लगभग एक घंटा तक घटना किया था। बच्ची जब चिल्लाई तब हम लोग उठे। बच्ची का मुँह जात दिया था। बच्ची और पुतोहु बताई कि एक घंटा तक घटना किया। पहले की घटना 09 तारीख और 11 तारीख की है, अगहण महिना था, अंग्रेजी महिना नहीं बता सकती हूँ। पहले वाली घटना के संबंध में भी केस किए थे। पहले वाली घटना का भी केस मेरे पति किए हैं। पहले वाली घटना के बारे में मुखिया, सरपंच, वार्ड किसी को नहीं बताए थे। दूसरी घटना रूम वाला के बारे में मुखिया, सरपंच, वार्ड को बताए हैं। गॉव के किसको–किसको घटना के बारे में बताए है नाम नहीं बता सकती हूँ। विडियो कौन नंबर वाला मोबाइल पर देखे थे, मैं उतना नहीं बता सकती हूँ। कितने मोबइल नंबर पर वायरल किया गया था, नहीं बता सकती हूँ। पेन ड्राईव क्या होता है नहीं जानती हूँ। किसके–किसके मोबाइल पर विडियो वायरल किया गया था नाम नहीं बता सकती हूँ। घटना की रात अंधेरिया थी। मेरे पति के सर से बहुत खुन गिरी थी। पुरा कुर्ता खुन से भींग गया था। जमीन पर भी खुन गिरा था। ऐसी बात नहीं है कि बड़ी बेटी की शादी में अजीत से तीन लाख रूपया नगद उधार लिए थे और शादी के बाद पैसा का तगादा मुझसे करने लगा और हमलोग पैसा देना नहीं चाहती थी तो उसी पैसा को पचाने के लिए उसपर दबाव देने के लिए मेरे पति अपनी बच्ची और मेरे साथ साजिश करके अजीत के उपर झूठा केस कर दिए और उस झूठे केस में पति और बच्ची का साथ देने के लिए झूठी गवाही दिए हैं । ऐसी बात नहीं है कि आज जैसा मैंने मुख्य परीक्षण में गवाही दी हूँ वैसा गवाही दरोगाजी को नहीं दी थी।

Web Copy not Official

<u>अभियोजन साक्षी संख्या–03</u> मुख्य परिक्षण में कहती हैं कि दिनांक 21.12.2023 को मैं सदर अस्पताल हाजीपुर में एस0एम0ओ0 के पद पर पदस्थापित थी और गोरौल थाना कांड संख्या 540/23 के अनुसंधानकर्ता के लिखित आवेदन पर मैं इस कांड की पीड़िता का उम्र निर्धारण हेतु मेडिकल जॉच किया था। एम0एल0सी0 न0 956 दिनांक 21.12.2023 पीड़िता ने शारीरिक जांच से इंकार किया। इस पीड़िता का उम्र निर्धारण हेतु किया गया चिकित्सीय जांच रिर्पोट मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है एवं उसपर अस्पताल का मुहर भी है जिसे मैं पहचानती हूँ, जिसे अभियोजन द्वारा प्रदर्श–5 अंकित कराया गया है। आगे साक्षी कहती हैं कि इस पीड़िता का उम्र निर्धारण हेतु दंत चिकित्सक के यहॉ भेजा गया रिक्युजिसन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानती हूँ जिसे अभियोजन द्वारा प्रदर्श–6 अंकित कराया गया है। इस पीड़िता का दंत चिकित्सीय जॉच रिर्पोट डाक्टर दीपक कुमार सिन्हा, डेंटल सर्जन के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानती हूँ जिसे अभियोजन द्वारा प्रदर्श–7 अंकित कराया गया है। प्रतिपरीक्षण में कहती है कि पीड़िता मेरे समक्ष लिखित रूप से शारीरिक जॉच कराने से इंकार किया था। पीड़िता मेरे समक्ष हस्ताक्षर की थी। मैनें उसके हस्ताक्षर को identify किया था।मैनें पीड़िता के चेहरे एवं शरीर पर कोई बाहरी जख्म नहीं देखा था। Dentist and radiologist के रिर्पोट के आधार पर मेरे द्वारा पीड़िता की उम्र 18–20 वर्ष बताया गया। ऐसी बात नहीं है कि पीड़िता ने मेरे समक्ष शारीरिक जॉच कराने से कभी भी refuse नही किया और ना ही मैनें पीड़िता के refusal पर उसके हस्ताक्षर को identify किया। ऐसी बात नहीं है कि सूचक के मेल और प्रभाव में आकर पीड़िता का शारीरिक जॉच नहीं किया था।

<u>अभियोजन साक्षी संख्या–04</u> (सुचक) मुख्य परिक्षण में कहते हैं कि मैं गोरौल कटहरा ओ0पी0 थाना पर जो आवेदन दिया था उस आवेदन को देवेन्द्र से लिखवाए थे और उसे पढ़ समझकर सही पाकर उसपर मैं अपना हस्ताक्षर बनाया जिसे मैं पहचानता हूँ जिसे अभियोजन द्वारा प्रदर्श–8 अंकित कराया गया है। सुचक कहते हैं कि घटना दिनांक 11.12. 2023 की समय करीब लगभग बारह बजे रात की है। हमलोग सब घर में सोए हुए थे। अजीत कुमार पिता–नरेन्द्र सिंह ग्राम–मंझिया जो मेरे ही गॉव का है, दो–तीन आदमी के साथ आया। मेरी बच्ची और मेरी पुतोह सोए हुए थे। घटना के समय बच्ची/पीड़िता का उम्र लगभग सतरह साल था जिसका जन्म साल 2006 है। दोनों छेड़खानी करने लगा और रेप

करने का चक्कर में था। मेरी बच्ची / पीड़िता और पुतोहु चिल्लाई तो मैं और मेरी पत्नी गए। अजीत कुमार रॉड से मारकर मेरा सर फाड़ दिया। साक्षी दिखाता है कि बाएँ भौं के पास मारा था। रॉड से मारने के कारण खुन भी गिरा था। फिर पुलिस को खबर किया तो दरोगाजी आए थे और मुझसे पूछताछ किए थे। महिला दरोगाजी पीड़िता से पूछताछ किए थे। जिस समय महिला दरोगाजी पीड़िता से पूछताछ कर रहे थे उस समय पुतोहु, मैं और मेरी पत्नी थी। उस बयान पर पीड़िता दस्तखत बनाई थी। उस बयान पर मैं और पुतोहु भी दस्तखत बनाई थी। दरोगाजी के समक्ष मैं पेन ड्राईव दिए थे और कटहरा ओ0पी0 के दरोगाजी संदीप कुमार मेरे समक्ष प्रस्तुति–सह–जप्ती सूची तैयार किए थे। उस प्रस्तुति–सह–जप्ती सूची (प्रदर्श–9) पर मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में हस्ताक्षर बनाया था और मेरी पत्नी गवाह के रूप में हस्ताक्षर बनाई थी और पीड़िता भी उसपर अपना हस्ताक्षर बनाई थी। सुचक कहते हैं कि पेन ड्राईव में है कि पीड़िता शौच करने के लिए सुबह में गई थी तो दो–तीन लड़का थे जिसमें अजीत को पहचानता हूँ वे थे, वह पिस्तौल भिड़काकर पीड़िता के साथ रेप किया और उसका विडियो बनाया। अजीत पीड़िता के साथ रेप किया और विडियो बनाया। विडियो बनाकर धमकी दिया कि बाप और भाई को गोली मार देगे और विडियो वायरल कर देगें। फिर डबल से चेष्टा किया पीड़िता नहीं गई तो विडियो वायरल कर दिया। पीड़िता नहीं गई तब मेरा लड़का के पास विडियो भेज दिया और घर में घुसकर मारपीट किया। उसके बाद विडियो वायरल भी कर दिया। अभियुक्त अजीत कुमार पीड़िता के साथ दो–तीन बार रेप किया। मेरा इलाज कटहरा सरकारी अस्पताल में हुआ था। दरोगाजी मुझसे पूछताछ किए थे और मै सब बात बतलाया था। मैं अभियुक्त को पहचानता हूँ। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि आज जैसा बयान दिया हूँ वैसा बयान थाना में दूसरा आदमी से लिखवाकर दिए थे। जो हकीकत था वही लिखवाए थे। जो लिखवाए थे वह पढ़वाकर सुन लिए थे। घटना बारह बजे रात की है, थाना पर कल होकर सुबह नौ बजे गए थे और लिखित आवेदन दिए थे। थाना पर मेरे साथ–साथ मेरी पत्नी, पीड़िता और पुतोहु गई थी। वहीं पर दरोगाजी सभी से पूछताछ किए थे। कल होकर दरोगाजी का पेन ड्राईव दे दिया था। पेन ड्राईव दरोगाजी बनवाए थे, मैं भी साथ में था। थाना के बगल में बनवाए थे। दूकान का नाम पता नहीं बता सकता हूँ। पीड़िता और पुतोहु जो बात बतलाई वही बात मैं थाना पर लिखवाकर दिया था। ऐसी बात नहीं है कि मैनें लिखित कथन में नहीं कहा था कि पीड़िता जब शौच के लिए गई तो अजीत कुमार दो–तीन लड़का के साथ पिस्तौल भिड़ाकर रेप किया एवं विडियो बनाया और अजीत मेरी बच्ची / पीड़िता के साथ दो–तीन बार रेप किया है और डबल चेष्टा किया तो पीड़िता नहीं गई तो विडियो वायरल कर दिया। जिस दिन घर में घुसा था उस दिन अंधेरिया रात था या इंजोरिया था, उतना नहीं बता सकता हूँ। मेरे घर में तीन कमरा है। दो कमरा सटा हुआ है और एक बगल में है। पुतोहु और पीड़िता जिस कमरा में सोई हुई थी उसके सटे हुए कमरा में मैं और मेरी पत्नी सोए हुए थे। घर का ऑगन घेराया हुआ है। आगे घेरावा में एक दरवाजा वह बंद रहता है। रात में ऑगन वाला में ताला लगता है। हमलोगों का घर झोपड़ी का है। अभियुक्त गेट से नहीं घ ुसा था, टॉटी फाड़कर घुसा था। जिस रूम में पुतोहु और पीड़िता सोई हुई थी उसमें बॉस का केवॉड़ी हैं, पर्दा लगा हुआ था। बॉस का केवॉड़ी अंदर से बंद होता है। घर में आदमी रहता है तो रस्सी से बॉध कर बंद करता है। टॉटी फाड़कर अंदर घुसा तो आहट पर मेरी निंद खुली थी तो मैं एक आदमी अजीत कुमार को देखा था बाकी दो आदमी को नहीं देखा था। मैनें देखा तो उसे रोकने का प्रयास किया इसीलिए उसने रॉड से मारा। रॉड से मारने पर मैं चिल्लाया था। पत्नी, पुतोहु और पीड़िता सभी लोगों के सामने मुझे मारा था। मारने से खुन से पुरा कपड़ा लाल हो गया था। जमीन पर भी खुन गिरा था। जमीन पर खुन एक हाथ के अंदर में गिरा हुआ था। खुन लगा हुआ कपड़ा दरोगाजी को नहीं दिए थे। जमीन पर खुन कहॉ–कहॉ गिरा था, वह जगह दरोगाजी को नहीं दिखलाए थे। चोट लगने के बाद मैं होश में था। चोट लगने के बाद मैं गिर गया था। मेरे घर के आस–पास में लगभग सात–आठ घर है। मेरे चिल्लाने पर सात–आठ घर से आदमी सब आया था और देख कर चला गया था। देखने वालों में से जवाहीर राम, लखिन्द्र राम, अशोक राम, चंदन राम आदि हैं। जिनका नाम लिखवाया हूँ मैने उनका नाम दरोगाजी को नहीं बताया था। घटनास्थल के

उत्तर में कोई घर नहीं है, दक्षिण में बिंदा राम का घर, शत्रुध्न राम का घर है, पुरब में खाली है और पष्चिम में हरेन्द्र राम और अशोक राम, जवाहीर और लखिन्द्र राम का घर है। मेरी बड़ी बच्ची का शादी घटना से पॉच साल पहले हुआ था। अजीत कुमार मेरे गॉव का संपन्न किसान है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी बड़ी बच्ची की शादी में अजीत कुमार से तीन लाख रूपया कर्ज लिए थे और अभियुक्त उसी रूपया का तगादा मुझसे करता था जिस कारण मैं अपनी बच्ची के साथ साजिश करके झूठा बलात्कार का आरोप लगाकर झूठा मुकदमा किया और इसी कारण मेरी पत्नी और मेरी बच्ची अस्पताल में डाक्टर के सामने मेडिकल जॉच करवाने से जानबुझकर इंकार की है। ऐसी बात नहीं है कि घटना के समय पीड़िता का उम्र 18 से 20 साल था। ऐसी बात नहीं है कि पीड़िता का उम्र कम करके स्कुल में नाम लिखवाया था और झूठे केस में मैनें झूठा गवाही दिया हूॅ।

अभियोजन साक्षी संख्या–05 मुख्य परिक्षण में कहती हैं कि घटना आज से लगभग डेढ़ साल पहले की है। पीड़िता घर के पीछे बाथरूम भोरवा में गई। सुना पाकर अजीत कुमार धर लिया और गंदा काम कर दिया। उसके बाद विडियो करके मोबाइले–मोबाइले भेज दिया। सुचक का घर टॉटी का है। फिर दूसरे दिन टॉटी के घर में पीछे से अजीत कुमार घुस गया और पीड़िता के साथ गंदा–गंदा काम मतलब बलात्कार किया। पीड़िता चिल्लाई तो उसके पिता सुचक दौड़कर गया। सुचक ने अभियुक्त अजीत कुमार को पकड़ लिया तो उसके माथा पर अजीत कुमार रड से मार दिया। रड लगने से माथा फुट गया और खुन भी गिरा। सुचक के चिल्लाहट पर हमलोग दौडकर गए। उसके बाद सुचक को धड़–पकड़कर कटहरा अस्पताल में ले गए। वहॉ सुचक का इलाज हुआ। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि सुचक मेरा अपना भैसुर है। मेरा घर और सुचक के घर के बीच में कोई घर नहीं है। अगल–बगल लगभग पन्द्रह घर है। मेरे पहूॅचने के लगभग दस मिनट बाद बाकी लोग पहूॅचे। अजीत कुमार के भागने के लगभग दस मिनट बाद मैं पहूॅची। पहूॅचने के बाद सुचक से मेरी बातचीत हुई थी। सुचक को पहले डाक्टर के यहॉ ले गए थे। अस्पताल में इलाज के लगभग एक घंटा के बाद मुझे सब बात बताए थे। जब मैं पहूॅची तो देखी कि सुचक का पुरा कपड़ा खुन से भींगा हुआ था। सुचक कुर्ता पहने हुए थे। किस रंग का कुर्ता पहने हुए थे नहीं याद है। सुचक जमीन पर गिरे हुए थे। जमीन पर खुन गिरा हुआ था। सुचक से जो बातचीत हुई थी वही सब बात मैं दरोगाजी को बतलाई थी। मैं नहीं जानती हूॅ कि सुचक अपनी बड़ी बच्ची की शादी में अजीत कुमार से तीन लाख रूपया पैंचा लिया था और उसी पैसा का तगादा अजीत कुमार सुचक से बराबर करता था। ऐसी बात नहीं है कि उसी तीन लाख रूपया पचाने के लिए सुचक अपनी बच्ची को खड़ाकर अजीत कुमार पर झूठा केस कर दिया और इसी कारण सुचक की पत्नी पीड़िता का शारीरिक जॉच जानबुझकर नही कराई।

अभियोजन साक्षी संख्या–06 मुख्य परिक्षण में कहते हैं कि दिनांक 15.12.2023 को मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेहराकलॉ में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थापित था। गोरौल कटहरा ओ0पी0 थाना कांड संख्या 540/23 के जख्मी सुचक के जख्मों का मैनें चिकित्सीय जॉच संदीप कुमार पु0अ0नि0, कटहरा ओ0पी0 के लिखित आवेदन पर किया था। जख्मी के निम्न जख्म पाया–

(I) CLW (Contused Lacerated Wound) over left forehand size approx (½”X ½”).

(II) Pain in Right leg.
Age within–12 hours. Caused by: Hard & blunt object. Nature of injury:- “Simple” in nature.
सुचक का चिकित्सीय जॉच रिर्पोट मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूॅ जिसे अभियोजन द्वारा प्रदर्श–10 अंकित कराया गया है।
CLW means Contused Lacerated Wound वैसा जख्म जो फटा हुआ के साथ थुड़ाया/कुचला हुआ होता है जिसमें खुन भी रहता है। जिसको हमलोग पहले साफ (Dressing) करते हैं उसके बाद Stitching का काम करते हैं। इस जख्मी का जख्म से खुन गिरा था और जिसका हमने Dressing and Stitching किया था। Injury size ½”X ½” में हमलोग तीन स्टीच करते हैं। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

में दो डाक्टर, दो नर्स और फोर्थ गेड स्टाफ थे। Dressing करने का काम डाक्टर और नर्स करते हैं। ओ0पी0डी0 का समय था इसलिए Dressing डाक्टर और नर्स मिलकर किए थे। मैनें जख्म प्रतिवेदन पर जख्म का साईज लिखा हूॅ। कितना स्टीच किया था यह बात जख्म प्रतिवेदन पर नहीं लिखा हुआ है। मैनें जख्म का लंबाई और चौड़ाई लिखा हूॅ उसकी गहराई नहीं लिखा हूॅ। जख्म डीप रहता है तो गहराई लिखते हैं। किस तरह का Hard & blunt substance का प्रयोग हुआ है यह भी नहीं लिखा हूॅ। Age of injury लिखा हूॅ। It is true that Colour is the best factor to determine the age of injury. I have not mentioned the colour of injury in injury report. मैनें उसके जगह पर term "Contused Lacerated Wound" डाला है। CLW injury तेजी से जाते हुए स्पीड में गिरने से, घर्षण से हो सकता है। यदि रोगी रिस्क ले तो इस प्रकार का जख्म manufacture हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा जख्म प्रतिवेदन गलत है और प्रभाव में आकर गलत ढंग से बनाया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–07 मुख्य परिक्षण में कहती हैं कि पीड़िता मेरी ननद है। घटना के समय पीड़िता का उम्र लगभग 16–17 साल था। घटना का लगभग एक साल सात महिना हुआ है। घटना करीब ग्यारह बजे रात की है। उस समय मैं अपने घर में थी। सुबह में पीड़िता शौच करने गई थी तो अजीत कुमार छुपा हुआ था। अजीत कुमार पीड़िता को देख लिया और अजीत कुमार उसको धर लिया। अजीत कुमार मेरे ही गॉव का है। वह बलजोबरी पीड़िता के साथ गलत किया और विडियो बना लिया। बन्दुक, गोली भिड़ाया और पीड़िता को बोला कि मेरे साथ गलत करो और पीड़िता के साथ गलत काम किया। पीड़िता का कपड़ा–उपड़ा खोलकर अजीत कुमार पीड़िता के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने का विडियो बनाया और फेसबुक पर विडियो वायरल कर दिया। अजीत कुमार हमलोगों के मोबाइल पर विडियो भेजा। हमलोग विडियो देखे थे। उस विडियो में अजीत कुमार पीड़िता के साथ बलात्कार कर रहा था। अजीत कुमार पीड़िता के साथ दो बार बलात्कार किया था। एक बार रात में बारह बजे घर में घुस गया और मेरी ननद / पीड़िता के साथ में जबरदस्ती कर रहा था। मुॅह जात कर बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा करो। पीड़िता चिचिआई तो हम उठे तो देखे कि वह चिल्ला रहा है। मेरा ससुर उसको पकड़ा तो वह रड से मारकर कपाड़ फाड़ दिया और अजीत कुमार घर से भाग गया। हमलोगों को अजीत कुमार फोन करके धमकी दिया कि चमार बहनचोद क्या करेगा। मेरे ससुर के पैर में मारा और कल के रड से मारा तो कपाड़ फुट गया। महिला दरोगाजी पीड़िता से पूछताछ मेरे समक्ष की थी जिसपर पीड़िता ने अपना हस्ताक्षर बनाई थी और मैं भी अपना हस्ताक्षर बनाई थी और मोबाइल नंबर डाली थी और महिला दरोगाजी सुजाता कुमारी ने भी अपना हस्ताक्षर बनाई थी जिसे पढ़ समझकर सही पाकर सब लोग दस्तखत किए थे। मेरी सास ने भी अंगूठे का निशान बनाई थी। अभियुक्त अजीत कुमार को मैं पहचानती हूॅ। प्रतिपरीक्षण में कहती है कि आज जो बात न्यायालय में बताया हूॅ यही बात आज से पहले भी बताया हूॅ। घटना के लगभग चार–पॉच दिन बाद घर पर पुलिस गई थी और जो–जो पूछी उसका जवाब दी थी। ऐसी बात नहीं है कि दरोगाजी को नहीं बताई थी कि घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 16–17 वर्ष था और भोर में मेरी ननद शौच करने गई थी और अजीत छुपा था, पीड़िता को देखकर पकड़ लिया और अजीत जबरन पीड़िता को बन्दुक गोली भीड़ा दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और अजीत कुमार पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसका विडियो बनाया और विडियो वायरल कर दिया और विडियो मैं देखी थी और उस विडियो में अजीत कुमार पीड़िता के साथ बलात्कार कर रहा था और अजीत कुमार दो बार बलात्कार किया। ऐसी बात नहीं है कि दरोगाजी को नहीं बताई थी कि बारह बजे रात में घर में घ ुसकर मेरी ननद का मुॅह जातकर बोला था कि मेरे साथ गलत करो और हमलोगों का जाति का नाम लेकर फोन करके धमकी देता है। पीड़िता उस रोज अकेले शौच करने गई थी। पीड़िता की मम्मी रोज उसके साथ शौच के लिए जाती थी। पुनः कहती है कि कभी–कभी साथ में जाती थी। शौच करने के लिए खेत में गई थी। घर से थोड़ा हटकर खेत है। खेत किसका है मैं नहीं जानती हूॅ। जिस खेत में शौच करने गई थी उस खेत में जंगल झाड़ था। बगल में फैमली जैसी एक चाची है उनके यहॉ का बाथरूम मैं युज करती हूॅ। वह बाथरूम मेरे घर से थोड़ा दूर लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है। जिसका बाथरूम है उसका नाम नहीं जानती हूॅ। मेरे घर के अगल–बगल में करीब दस घर है।

अजीत भाग गया तब पीड़िता खेत में हल्ला नहीं की, घर में आकर कही। घर में आकर सिर्फ मुझे बताई। बाद में सास–ससुर को बताई। थाना पर पीड़िता, सास ,ससुर के साथ मैं और बगल के सुमन की चाची भी गई थी। वहॉ पर केस मैं और मेरे ससुर लिखवाए। सब बात पीड़िता बताई कि मेरे साथ ऐसा–ऐसा किया है सब बात लिखाया। पीड़िता जब शौच करके आई तो पीड़िता मुझे कपड़ा दिखलाई थी। कपड़ा फटा था देखे थे। दो–तीन जगह कपड़ा फटा हुआ था। काला रंग का कपड़ा था। काला रंग का सलवार पहनी हुई थी। फ्रॉक और पैंट दोनों फटा हुआ था। थाना पर जब गए थे तो फटा हुआ कपड़ा लेकर नहीं गए थे। घर पर दरोगाजी आई थी तो उनको फटा हुआ कपड़ा नहीं दिखलाए थे। मारकर बेहोश कर दिया था इसलिए कपड़ा नहीं दिखलाए थे। थाना पर से ही ननद का मेडिकल जॉच करवाने के लिए गए थे। मेडिकल जॉच करवाई थी। अस्पताल में हम दस्तखत नहीं की थी। मेरी सास दस्तखत की होगी। पीड़िता मेडिकल जॉच करवाने से इंकार नहीं की थी। रूम से अजीत भागने लगा तो मैं हल्ला की थी तो लोग जुटे थे। लगभग पच्चीस लोग जुटे थे। अजीत भाग गया था तब लोग जुटा था। रात अंधेरिया था। रूम में लाईट जल रहा था। पीड़िता मेरे साथ चौकीं पर सोई हुई थी। चौकीं पर ही उसका मुँह दबा रहा था। मैं उसका धरा और बोला कि क्यों ऐसा कर रहा है तो वह मुझे धक्का दिया। मैं गिर गई तो मेरे दाड़ में चोट लगा था। झापड़ चलाया तो पीठ में चोट लगा। मैं अपना इलाज नहीं करवाई थी। ऐसी बात नहीं है कि कथित घटनातिथि के दिन पीड़िता के साथ कोई बलात्कार की घटना नहीं हुआ और उसके पहले भी कभी पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि मेरी बड़ी ननद की शादी में मेरे सास ससुर अजीत कुमार से तीन लाख रूपया कर्ज लिए थे और उसी पैसा का तगादा अजीत कुमार कर रहे थे तो उसी रूपया को पचाने के लिए हम सभी लोगों ने साजिश करके टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल कर झूठा विडियो बनाया और अजीत पर झूठा बलात्कार का केस करवा दिया। ऐसी बात नहीं है कि इसीलिए पीड़िता बलात्कार का केस होते हुए भी मेडिकल करवाने से इंकार कर दी थी।

<u>अभियोजन साक्षी संख्या–08</u> मुख्य परिक्षण में कहते हैं कि दिनांक 15.12.2023 को मैं कटहरा ओ0पी0 में परि0 पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। गोरौल थाना कांड संख्या 540 / 23 की औपचारिक प्राथमिकी गोरौल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूँ जिसे अभियोजन द्वारा प्रदर्श–11 अंकित कराया गया है। सूचक कटहरा ओ0पी0 पर आवेदन दिया था जिसे कटहरा ओ0पी0 अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रसारित किए थे गोरौल थानाध्यक्ष को और वह अपना हस्ताक्षर बनाए थे जिसे मैं पहचानता हूँ और लिखित आवेदन पर गोरौल थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अपना हस्ताक्षर बनाए थे जिसे मैं पहचानता हूँ जिसे प्रदर्श–12 अंकित किया गया है। तत्कालीन गोरौल थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने इस कांड के अनुसंधान का भार मुझे सौंपा। केस के अनुसंधान का भार ग्रहण करने के पश्चात् मैनें सूचक के लिखित आवेदन का अवलोकन किया। वादी का बयान लिया। साक्षी सुचक की पुतोह, सुचक की पत्नी का बयान लिया। घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल को वाद दैनिकी के कंडिका संख्या 9 में दर्ज किया। घटनास्थल कटहरा ओ0पी0 क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–साहपुर गौस उर्फ मंझिया में वादी का टॉटी का बना झोपड़ीनुमा घर है इसी घर में घटना कारित होने की बात वादी एवं साक्षी के द्वारा बताया गया है। घटनास्थल बकसामा से प्रेमराज जाने वाली एक पक्की सड़क है जिससे 200 मीटर उत्तर दिशा में है। घटनास्थल की चौहद्दी–उत्तर में वादी का आलु लगा खेत, दक्षिण में शत्रुधन राम पे0 स्व0 भुनाथ राम का ईंट का करकट चढ़ा घर, पुरब में बिंदा राम पे0 स्व0 महेन्द्र राम का तोड़ी एवं तंबाकु लगा हुआ खेत और पश्चिम में हरेन्द्र राम पे0 भुनाथ राम का ईंट का करकट चढ़ा घर है। पीड़िता के द्वारा मैट्रिक का अंक पत्रक एवं एडमीट कार्ड की छायाप्रति जो वाद दैनिकी के साथ संलग्न किया गया है। जिसपर पीड़िता का जन्मतिथि दिनांक 22.07.2006 अंकित है। पीड़िता का दफा 161 दं0प्र0सं0 के तहत बयान महिला एस0आई0 सुजाता कुमारी के द्वारा लिया गया। एस0आई0 सुजाता कुमारी से दफा 161 दं0प्र0सं0 के तहत बयान प्राप्त कर वाद दैनिकी के कंडिका 23 में दर्ज

Web Copy not Official

किया। पीड़िता का चिकित्सीय जॉच करवाने हेतु महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ लाया और चिकित्सीय जॉच कराया गया। पीड़िता का दफा 164 दं0प्र0सं0 के तहत बयान करवाने हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन दिया एवं बयान दर्ज हुआ। इस कांड के अभियुक्त अजीत कुमार की गिरफ्फतारी हेतु छापामारी किया एवं उसे गिरफ्फतार किया तथा उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया एवं उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस वाद के सूचक द्वारा एक पेन ड्राईव 32 जी0बी0 का मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका मैं प्रस्तुति–सह–जप्ती सूची तैयार किया जिसपर दो स्वतंत्र साक्षी पीड़िता ने अपना हस्ताक्षर बनाया एवं सुचक की पत्नी ने अंगूठा का निशान बनाई। इस कांड के अभियुक्त को मैं गिरफ्फतार किया था जिसे मैं पहचानता हूँ। सभी साक्षियों का बयान, घ टनास्थल का निरीक्षण, पीड़िता का बयान एवं जप्त प्रदर्शों का अवलोकन तथा वरीय पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तथा इस वाद की वैद्यानिक अवधि पूर्ण होने से पूर्व अभियुक्त अजीत कुमार के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या–57/2024 दिनांक 29.02.2024 दफा 341/323/376/354बी/500/506 भा0द0वि0 एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा 67/67ए आई0टी0एक्ट एवं 3(1)(r)(s)/3(w)(i)/3(2)(va) एस0एसी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया एवं आगे का अनुसंधान बंद किया। यह आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है (प्रदर्श–13)। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि औपचारिक प्राथमिकी में घटना की तिथि 11.12.2023 है। रिर्पोटिंग की तारीख दिनांक 15.12.2023 है। वाद दैनिकी के पारा नंबर 9 में घ टनास्थल का विवरण है, उसके अलावे और कोई दूसरी घटनास्थल नहीं है। अनुसंधान ग्रहण करने के पश्चात् सर्वप्रथम मैने सूचक के लिखित आवेदन का अवलोकन किया। पुरे लिखित कथन में सूचक ने अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने की बात नही कही गई है और ना ही जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने की बात कही है। अनुसंधान के कम में सुचक का पुनः बयान लिया उसके पुनः बयान के आगे में बयान लेने का तारीख और समय अंकित नहीं है। साक्षी सुचक की पुतोहु, पत्नी और निर्मला देवी का बयान लिया हूँ उसके आगे भी बयान लेने का तारीख और समय अंकित नहीं किया हूँ। अनुसंधान ग्रहण करने के तिथि दिनांक 15.12.2023 के पश्चात् उसी तिथि को उक्त सभी बयान लगातार में किया हूँ। अनुसंधान का भार थाना में ग्रहण किया। कितने बजे थाना से प्रस्थान किया और कितने बजे घटनास्थल पहूँचा यह बात डायरी में नहीं लिखा हूँ। कहॉ पर साक्षियों का बयान लिया हूँ यह बात डायरी में नहीं लिखा हूँ। कितने बजे थाना लौटे यह बात भी डायरी में अंकित नही किया हूँ। पुनः अनुसंधान के लिए कितने बजे प्रस्थान किए उसका समय अंकित नहीं किया हूँ। वाद दैनिकी के पारा 35 में अभियुक्त को उसी के घर से गिरफ्फतार किया था। गिरफ्फतारी कब किए थे उसका समय डायरी में अंकित नहीं किया हूँ परंतु गिरफ्फतारी ज्ञापन में अंकित किया हूँ। अभियुक्त का मेडिकल कराया हूँ। अभियुक्त का मेडिकल फिटनेष रिर्पोट अग्रसारण प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में दाखिल किया था। वाद दैनिकी के पारा 48 में लिखा हूँ पु0अ0नि0 सुजाता कुमारी पीड़िता का मेडिकल जॉच कराने के उपरांत ओ0पी0 आए और बताए कि पीड़िता अपना शारीरिक जॉच कराने से इंकार कर गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा उसी आवेदन पर लिखकर दिया था कि मैं अपना शारीरिक जॉच नहीं कराना चाहती हूँ। पेन ड्राईव प्रस्तुत किया गया एवं जप्ती सूची मेरे द्वारा तैयार किया गया। पेन ड्राईव किस डिवाईस से तैयार किया गया है वह जानने का प्रयास नहीं किया और जिस डिवाईस से तैयार किया गया वह चालु हालत में था या नहीं यह भी जानने का प्रयास नहीं किया। अनुसंधान के कम में सूचक के द्वारा या पीड़िता के द्वारा अपने बयान में अभियुक्त का मोबाइल नंबर नहीं बताया गया। बल्कि यह बताया गया कि अभियुक्त द्वारा व्हाटसप पर भेजा गया था। ए–4 साईज स्कीन सॉट या प्रिन्ट आउट पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, उस मोबाइल का सी0डी0आर0 नहीं निकाला था। उस मोबाइल नंबर का सत्यापन हेतु मैनें कोई सी0डी0आर0 नहीं निकाला था। कांड दैनिकी के पारा 77 में पीड़िता का मेडिकल रिर्पोट अंकित किया हूँ। उसमें चिकित्सक का ऑपिनियन है कि पीड़िता की उम्र 18–20 वर्ष है। पीड़िता द्वारा अंक पत्रक और प्रवेश पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया था जिसमें अंक पत्रक का मिलान मूल से किए थे यह बात डायरी में अंकित नहीं किया हूँ। सूचक ने अपने

पुनः बयान में नहीं कहा है कि पीड़िता शौच करने के लिए सुबह में गई थी, दो–तीन लड़का थे जिसमें अजीत को पहचानता हूँ वह पिस्तौल भिड़ाकर पीड़िता के साथ रेप किया और उसका विडियो बनाया। सूचक ने पुनः बयान में कहा है कि अजीत पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और विडियो बनाया। सूचक ने पुनः बयान में कहा था कि इससे पहले भी रेप किया था। सूचक ने पुनः बयान में ऐसा नहीं कहा था कि विडियो बनाकर धमकी दिया कि बाप और भाई को गोली मार देगें और विडियो वायरल कर देगें। फिर डबल से चेष्टा किया पीड़िता नहीं गई तो विडियो वायरल कर दिया। सूचक ने पुनः बयान में कहा था कि तुम्हारे बाप को जान से मार दूँगा। पीड़िता 161 दं0प्र0सं0 के बयान में समय नहीं बताया गया था। अजीत जंगल में छुपा हुआ था यह शब्द पीड़िता के बयान में नहीं था। कपड़ा फाड़ दिया और बोला कि गलत करो मेरे साथ नहीं तो मार देगें यह बात बयान में पीड़िता नहीं बोली है। अनुसंधानकर्ता कहती हैं कि मेरे समक्ष साक्षी सुनीता देवी अपने बयान में नहीं बताई थी कि अजीत घर में घुसा और पीड़िता का कपड़ा फाड़कर बलात्कार किया। इस प्रश्न पर कि आपके समक्ष साक्षी निर्मला देवी अपने बयान में बताई थी कि पीड़िता घर के पीछे बाथरूम भोरवा में गई और सुना पाकर अजीत कुमार धर् लिया और गंदा काम किया? दूसरे दिन टॉटी के घर में पीछे से अजीत घुस गया और पीड़िता के साथ गंदा काम किया, गंदा काम का मतलब बलात्कार किया? अनुसंधानकर्ता कहती है कि साक्षी निर्मला देवी घर में घुसने की बात बताई है और अन्य बात नहीं बताई थी। मेरे समक्ष साक्षी विक्की कुमारी अपने बयान में नहीं बताई थी कि सुबह में शौच करने गई थी तो अजीत कुमार छुपा हुआ था और अजीत कुमार पीड़िता को देख लिया और पीड़िता को धर लिया और अजीत जबरन पीड़िता को बंदुक गोली भिड़ा दिया और जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। अनुसंधानकर्ता कहती हैं कि जिन–जिन साक्षियों का मैनें बयान लिया सभी एक ही परिवार के हैं। निर्मला देवी सगी चाची है जो अलग घर में रहती है। मेरे समक्ष सूचक ने पुनः बयान में जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज करने की बात नहीं कही है। अन्य साक्षियों ने भी बयान में जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज करने की बात नहीं कही है। पीड़िता अपने बयान में जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज करने की बात कही है। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल पर खुन वगैरह का निशान नहीं पाया था। सुरेन्द्र राम ने कोई खुन लगा कपड़ा प्रस्तुत नहीं किया था। पीड़िता द्वारा कोई फटा हुआ कपड़ा भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि मैं घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया और ना ही घटनास्थल पर किसी साक्षी का बयान लिया और थाना पर बैठकर अपने विवेक से डायरी लिख लिया जिस कारण मेरा अनुसंधान बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है।

9. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में बचाव साक्षी संख्या–1 मुख्य परीक्षण में कहते है कि अजीत कुमार एवं उसी गॉव के सुचक का जानता–पहचानता हूँ। अजीत कुमार किसान है और तंबाकु का कारोबार करते है। सुचक की पत्नी अजीत कुमार के खेत में काम करती थी इस बात की जानकारी मुझे है। सुचक की पत्नी अजीत कुमार की मम्मी से तीन लाख रूपया कर्ज ली थी। वह कर्ज को नहीं लौटाई थी। अजीत कुमार तकादा करता था तो उसे फंसा दिया। सुचक अपनी बच्ची को लेकर केस किया है वैसा कोई घटना नहीं हुआ है। गॉव में अजीत कुमार के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं सुना हूँ। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि अनुसंधानकर्ता के समक्ष या पुलिस के वरीय पदाधिकारी के समक्ष या घटनास्थल वाले गॉव के मुखिया, सरपंच को घटना के सत्यता या असत्यता के विषय में लिखकर नहीं दिए थे। आज मुझे गवाही देने के लिए कोर्ट से समन गया है। कोर्ट से समन और बुलाहटा मुंशीजी लेकर गए थे। बच्ची की शादी में तीन लाख रूपया लिया था उसका कोई कागज नहीं बना था। यह बात मैं नहीं जानता हूँ कि किस तारीख को पैसा दिए थे। पॉच–सात साल पहले दिए थे। सुचक की बच्ची की शादी किस साल किस तारीख को हुआ था यह मैं नहीं जानता हूँ। अजीत कुमार या उसके घरवाले आजतक कितने परिवार को बच्चियों की शादी में उधार दिए है मुझे जानकारी नहीं है। इसको मेरे सामने दिए थे। सिर्फ पॉस सौ रूपया का नोट था। कितना पॉच सौ रूपया का नोट था मैं नहीं गिना था। वे लोग गिना था। नोटों का नंबर नहीं जानता हूँ। मैं पहूँचा तो वह पैसा गिन रहे थे। वह पैसा कहॉ

Web Copy not Official

से लाए थे नहीं जानता हूँ। सुचक की जाति का वहॉ पर लगभग पचास घर है। अजीत कुमार की जाति का लगभग 25–30 घर है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अजीत कुमार और अजीत कुमार के परिवार के लोग से मिलकर अपना व्यवसाय चलाता हूँ और ये लोग जगह जमीन से संपन्न लोग है और सुरेन्द्र राम का परिवार गरीब मजदूरा है और इस वजह से मैं अजीत कुमार के परिवार के लोगों के कहने पर झूठा गवाही दिया हूँ।

बचाव साक्षी संख्या–2 मुख्य परीक्षण में कहते है कि मझिया के अजीत कुमार को जानता–पहचानता हूँ। सुचक को भी जानता हूँ। अजीत कुमार गॉव के संपन्न किसान है। वह तंबाकु का खेती करते हैं एवं तबांकु बनाते भी है। सुचक की पत्नी अजीत कुमार के खेत में सब दिन मजदूरी करती थी। अजीत कुमार खैनी बेचा था उसी दिन सुचक की बड़ी बेटी की शादी में तीन लाख रूपया कर्ज दिया था। उसी रूपया का तकादा करता था तो पैसा देने से इंकार कर दिया था। उसी पैसे के कारण सुचक अपनी बेटी को लेकर झूठा केस किया। अजीत कुमार का कोई शिकायत इस इलाके में मैं नहीं सुना था। प्रतिपरीक्षण में कहती हैं कि आज मुझे गवाही देने के लिए अजीत की मम्मी बोली थी। घटना के समय अनुसंधानकर्ता या पुलिस के वरीय पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, पंच को घटना के सत्यता या असत्यता के बारे में मैं कोई लिखित नहीं दिया था। अजीत कुमार या उनके घर परिवार के लोग कितने लोगों के बेटी की शादी मे पैसा दिए हैं उतना मैं नहीं जानता हूँ।

Web Copy not Official

10. यह केस लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित है, अतः न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिंदु यह है कि क्या घटना के समय पीड़िता की आयु अठारह वर्ष से कम थी। प्राथमिकी में पीड़िता की उम्र अंकित नहीं की गयी है। पीड़िता मुख्य परिक्षण में कहती है कि मेरा जन्मतिथि दिनांक 22.07.2006 है। पीड़िता की मां (अभियोजन साक्षी संख्या–02) कहती हैं कि घटना के समय पीड़िता का उम्र लगभग 17 साल था। पीड़िता के पिता/सुचक (अभियोजन साक्षी संख्या–04) कहते हैं कि घटना के समय पीड़िता का उम्र लगभग 17 साल था। चिकित्सक साक्षी (अभियोजन साक्षी संख्या–03) का साक्ष्य हैं कि दंत चिकित्सीय जांच रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 17 से 18 वर्ष है। रेडियोलॉजिकल जांच प्रतिवेदन में पीड़िता की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच है, इन्होंने अपने चिकित्सीय जांच रिपोर्ट (प्रदर्श–5) में मंतव्य दिया है कि पीड़िता की आयु 18 से 20 वर्ष के बीच है।

अभियोजन की ओर से पीड़िता के जन्मतिथि के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पीड़िता के मुल अंक पत्र को प्रदर्श–4 अंकित कराया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 22.07.2006 अंकित है। इस केस की घटनातिथि दिनांक 11.12.2023 है। इस प्रकार घटनातिथि को पीड़िता की आयु 17 वर्ष 4 माह 20 दिन होती है। इस तरह पीड़िता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत घटना के दिन बालक थी, न्यायालय इसे साबित मानती है।

11. उभय पक्षों का बहस सुना। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता बहस में कहते हैं कि सुचक ने अपनी लड़की की शादी के लिए अभियुक्त से तीन लाख रु0 लिया था जब अभियुक्त उससे वापस रुपयों की मांग करने लगा तो सुचक ने गलत आशय से यह केस कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज करने में चार दिन का विलम्ब है। अभियुक्त ने कभी भी लोक दृष्टि में आने वाले स्थान में सुचक की जाति का नाम नहीं लिया है, इसलिए आवेदक के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का कोई अपराध नहीं बनता है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों ने इसका समर्थन किया है कि जैसा प्राथमिकी में बताया गया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। सुचक ने अभियुक्त का पैसा हड़पने के लिए यह केस किया है। पीड़िता ने अपना शारीरिक जांच नहीं कराया है। अभियोजन साक्षी सं0–02 पीड़िता की मां तथा सुचक की पत्नी है, जो गवाही के पारा–8 में कहती है कि पीड़िता सुबह 4 बजे घर से बाहर निकली थी और अभियुक्त ने उसका बलात्कार किया, परन्तु प्राथमिकी के अनुसार घटना का समय मध्यरात्रि था। अभियोजन साक्षी सं0–03 चिकित्सक साक्षी ने रेडियोलॉजिक प्रतिवेदन के अनुसार पीड़िता की आयु 18

से 20 वर्ष है, इसलिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का केस नहीं बनता है। अभियोजन साक्षी सं0–04 सुचक गवाही के पारा 2 में कहते हैं कि घटना दिनांक 11.12. 2023 को घटी थी, लेकिन पीड़िता ने द0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान में घटनातिथि 07. 12.2023, 08.12.2023 तथा 10,12,2023 बताई है, जिससे सुचक का पुरा केस संदेहास्पद हो जाता है। अभियोजन साक्षी सं0–05 अनुश्रुत साक्षी है। अभियोजन साक्षी सं0–06 ने सुचक का इलाज किया था, इन्होंने केवल लेसेरेटेड चोट और दर्द पाया, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध कोई केस नहीं बनता है। अभियोजन साक्षी सं0–07 पीड़िता की भाभी है, जो गवाही के पारा 12 में कहती है कि पीड़िता ने घटना के बारे में बताया, इससे विदित है कि वह चक्षु साक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षी सं0–08 इस केस के अनुसंधानकर्ता ने गवाही के पारा–12 में कहा है कि घटनास्थल एक है, जबकि पीड़िता और सुचक ने दो घटनास्थल बताया है। अनुसंधानकर्ता के पारा 28,29,30 तथा 31 से विदित है कि पीड़िता, सुचक तथा साक्षियों के बयान में बहुत विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन कथन संदेहास्पद बन जाता है। अभियोजन ने अपने केस को सभी संदेहों से परे साबित नहीं किया है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

विशेष लोक अभियोजक बहस में कहते हैं कि उनकी ओर से आरोप पत्र के सभी आठ गवाहों की गवाही कराई गई है। सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। अभियोजन साक्षी सं0–01 पीड़िता के साथ जो भी घटना घटी है, उसके संबंध में उसने साक्ष्य में बताया है, पीड़िता ने द0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान में भी बताया था। उसके साक्ष्य में कोई विरोधाभाष नहीं हैं। अभियोजन साक्षी सं0–02, 04, 05 तथा 07 के साक्ष्य में भी कोई विरोधाभाष नहीं आया है। सुचक ने अपने साक्ष्य के पारा 9 में कहा है कि घटना बारह बजे रात की है और वह थाना पर कल होकर सुबह नौ बजे थाना गया था और लिखित आवेदन दिया था। सुचक के जख्म प्रतिवेदन में भी उसके इलाज की तिथि दिनांक 12.12.2023 है। सुचक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने में विलम्ब नहीं किसा गया है। अभियुक्त ने घटनाक्रम में सुचक के सिर पर मारा था, जिससे सुचक को जख्म हुआ था। अभियोजन साक्षी सं0–06 द्वारा सुचक के जख्म प्रतिवेदन में को प्रदर्श कराया गया है, जो घटना की सत्यता को बताता है। अभियुक्त के विरुद्ध सभी आरोप संदेहों से परे साबित हुए है, अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए।

12. इस केस में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी आठ साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–04 सुचक के साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि सुचक इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि घटना दिनांक 11.12.2023 की समय करीब लगभग बारह बजे रात को अजीत कुमार दो–तीन आदमी के साथ आया। मेरी बच्ची और मेरी पुतोह विक्की कुमारी सोए हुए थे। दोनों छेड़खानी करने लगा और रेप करने का चक्कर में था। मेरी बच्ची/पीड़िता और पुतोहु चिल्लाई तो मैं और मेरी पत्नी गए। अजीत कुमार रॉड से मारकर मेरा सर फाड़ दिया। सुचक यह भी कहते हैं कि उन्होंने दरोगाजी को एक पेन ड्राईव दिया था, जिसमें अजीत पिस्तौल भिड़काकर पीड़िता के साथ रेप किया और उसका विडियो बनाया। विडियो बनाकर धमकी दिया कि बाप और भाई को गोली मार देगे और विडियो वायरल कर देगें। फिर डबल से चेष्टा किया पीड़िता नहीं गई तो विडियो वायरल कर दिया। पीड़िता नहीं गई तब मेरा लड़का के पास विडियो भेज दिया और घर में घुसकर मारपीट किया। उसके बाद विडियो वायरल भी कर दिया। अभियुक्त अजीत कुमार पीड़िता के साथ दो–तीन बार रेप किया। इन्होंने प्रतिपरिक्षण में बताया है कि पुतोहु और पीड़िता जिस कमरा में सोई हुई थी उसके सटे हुए कमरा में मैं और मेरी पत्नी सोए हुए थे। घर का आंगन घेराया हुआ है। अभियुक्त गेट से नहीं घुसा था, टॉटी फाड़कर घुसा था। जिस रूम में पुतोहु और पीड़िता सोई हुई थी उसमें बॉस का केवॉड़ी हैं, पर्दा लगा हुआ था। बॉस का केवॉड़ी अंदर से बंद होता है। घर में आदमी रहता है तो रस्सी से बॉध कर बंद करता है। टॉटी फाड़कर अंदर घ ुसा तो आहट पर मेरी निंद खुली थी तो मैं एक आदमी अजीत कुमार को देखा था बाकी दो आदमी को नहीं देखा था। मैनें देखा तो उसे रोकने का प्रयास किया इसीलिए उसने रॉड से मारा। रॉड से मारने पर मैं चिल्लाया था। पत्नी, पुतोहु और पीड़िता सभी लोगों के सामने

मुझे मारा था। चोट लगने के बाद मैं गिर गया था। सुचक के प्रतिपरीक्षण में भी कोई विरोधाभाष या संदेह की कोई बात नहीं लाई गई है। अभियोजन साक्षी संख्या–02 का कथन है कि आज से लगभग डेढ़ साल पहले समय करीब बारह बजे रात में अजीत कुमार मेरे घर में घुसा और पीड़िता के साथ बलात्कार किया।. जबकि पीड़िता ने उस रात को बलात्कार करने की बात नहीं कही हैं। अभियोजन साक्षी संख्या–05 मुख्य परिक्षण में प्राथमिकी का समर्थन करती है, प्रतिपरीक्षण में कहती है कि अजीत कुमार के भागने के लगभग दस मिनट बाद मैं पहूँची। पहूँचने के बाद सुचक से बातचीत हुई थी। सुरेन्द्र राम को पहले डाक्टर के यहॉ ले गए थे। अस्पताल में इलाज के लगभग एक घंटा के बाद मुझे सब बात बताए थे। इस साक्षी के साक्ष्य से विदित है कि ये अनुश्रुत साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्या–07 पीड़िता की भाभी है, जो घटना की रात पीड़िता के साथ सोई हुई थी, कहती हैं कि अजीत रात में बारह बजे घर में घुस गया और मेरी ननद/पीड़िता के साथ में जबरदस्ती कर रहा था। मुँह जात कर बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा करो। पीड़िता चिचिआई तो हम उठे तो देखे कि वह चिल्ला रहा है। मेरे ससुर उसको पकड़े तो वह रड से मारकर कपाड़ फाड़ दिया और घर से भाग गया। साक्षी पुर्व की घटना के संबंध में भी कहती है कि भोर में मेरी ननद शौच करने गई थी तो अजीत पीड़िता को पकड़ लिया और बन्दुक गोली भीड़ा कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, उसका विडियो बनाया और विडियो वायरल कर दिया। प्रतिपरीक्षण में कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि वह पुर्व की घटना के बारे में दरोगाजी को नहीं बताई थी। इस साक्षी ने पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा घटना किए जाने का समर्थन किया है। इस केस के अनुसंधानकर्ता अभियोजन साक्षी संख्या–08 द्वारा काण्ड का घटनास्थल बताया गया है कि घटनास्थल कटहरा ओ0पी0 क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–साहपुर गौस उर्फ मंझिया में वादी का टॉटी का बना झोपड़ीनुमा घर है इसी घर में घटना कारित होने की बात वादी एवं साक्षी के द्वारा बताया गया है। घटनास्थल बकसामा से प्रेमराज जाने वाली एक पक्की सड़क है जिससे 200 मीटर उत्तर दिशा में है। घटनास्थल की चौहद्दी–उत्तर में वादी का आलु लगा खेत, दक्षिण में शत्रुधन राम पे0 स्व0 भुनाथ राम का ईंट का करकट चढ़ा घर, पुरब में बिंदा राम पे0 स्व0 महेन्द्र राम का तोड़ी एवं तंबाकु लगा हुआ खेत और पश्चिम में हरेन्द्र राम पे0 भुनाथ राम का ईंट का करकट चढ़ा घर है। अनुसंधानकर्ता कहते हैं कि उनके द्वारा अभियुक्त अजीत कुमार के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या–57/2024 दिनांक 29.02.2024 समर्पित किया गया। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि वाद दैनिकी के पारा नंबर 9 में घटनास्थल का विवरण है, उसके अलावे और कोई दूसरी घटनास्थल नहीं है। पुरे लिखित कथन में सूचक ने अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने की बात नही कही गई है और ना ही जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने की बात कही है। अनुसंधान के क्रम में सूचक के द्वारा या पीड़िता के द्वारा अपने बयान में अभियुक्त का मोबाइल नंबर नहीं बताया गया। बल्कि यह बताया गया कि अभियुक्त द्वारा व्हाटसप पर भेजा गया था। सूचक ने पुनः बयान में कहा है कि अजीत पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और विडियो बनाया। सूचक ने पुनः बयान में कहा था कि इससे पहले भी रेप किया था। पीड़िता 161 दं0प्र0सं0 के बयान में समय नहीं बताया गया था। अजीत जंगल में छुपा हुआ था यह शब्द पीड़िता के बयान में नहीं था। कपड़ा फाड़ दिया और बोला कि गलत करो मेरे साथ नहीं तो मार देगें यह बात बयान में पीड़िता नहीं बोली है। अनुसंधानकर्ता कहती हैं कि मेरे समक्ष साक्षी सुनीता देवी अपने बयान में नहीं बताई थी कि अजीत घर में घुसा और पीड़िता का कपड़ा फाड़कर बलात्कार किया। मेरे समक्ष सूचक ने पुनः बयान में जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज करने की बात नहीं कही है। अन्य साक्षियों ने भी बयान में जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज करने की बात नहीं कही है। पीड़िता अपने बयान में जाति सूचक शब्द कहकर गाली गलौज करने की बात कही है। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल पर खुन वगैरह का निशान नहीं पाया था। सुरेन्द्र राम ने कोई खुन लगा कपड़ा प्रस्तुत नहीं किया था। पीड़िता द्वारा कोई फटा हुआ कपड़ा भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता के साक्ष्य के मुल्यांकन से विदित हैं कि उसने ग्यारह

तारीख को हुई घटना के संबंध में कहा है कि मेरे घर पर बारह बजे रात में अजीत आया, दरवाजा तोड़ा। मेरे साथ गलत करने का सोचा तो हम हल्ला की। हल्ला करने पर उसके साथ चार और पीछे से आ गया। मम्मी, पापा आए तो छुड़ाए। मेरे पापा को रड से अजीत मारा। पापा को माथा पर चोट लगा। धमकाकर चला गया और विडियो वायरल कर दिया। भाई और पापा के मोबाइल पर विडियो भेजा है। पहले भी अजीत द्वारा. किए गए घटना के संबंध में पीड़िता कहती है कि सुबह करीब पॉच बजे शौचालय करने गई। अजीत जंगल में छुपा हुआ था मुझे पकड़ लिया और पिस्तौल भिड़ा कर कपड़ा फाड़ दिया और धमकी देकर गलत करके विडियो बनाया। आसपास घुम रहा था धमकी दे रहा था। अजीत कुमार मेरे साथ दो बार इस तरह का घटना किया है। वह मेरे साथ बलात्कार किया। प्रतिपरीक्षण में पीड़िता कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि वह पुलिस को सुबह 5 बजे वाली घटना नहीं बतलाई थी।

Web Copy not Official

बचाव पक्ष का तर्क है कि. सुबह पांच बजे वाली घटना के बारे में न तो पुर्व में कोई केस किया गया और न ही प्राथमिकी में इसका उल्लेख है, पीड़िता ने बढ़ा–चढ़ा कर साक्ष्य दिया है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। विशेष लोक अभियोजक इसके जवाब में कहते हैं कि पीड़िता सुबह पांच बजे वाली घटना के बारे में बताई है कि अभियुक्त ने पिस्तौल भिड़ाकर उसके साथ बलात्कार किया था, विडियो बनाया था और धमकी भी दिया था। पीड़िता ने द0प्र0सं0 की धारा 164 में उक्त घटना के बारे में कहा है। अभियुक्त ने ग्यारह तारिख के पुर्व भी पीड़िता के साथ घटना किया था, पीड़िता के साथ जो घटना घटी थी, उसने अपने साक्ष्य में बताया है।

पीड़िता के साक्ष्य से विदित है कि उसने अपने साक्ष्य में पुर्ववर्ती बयान में दिए गए कथनों को संपुष्ट किया है। इसके प्रतिपरिक्षण में ऐसा कोई विरोधाभाष नहीं आया है, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद लगता हो। पीड़िता ने घटना के पुर्व से अभियुक्त द्वारा लैंगिक उत्पीड़न करने की घटना का समर्थन किया है।

अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप में जहां तक भा0द0वि0 की धारा 341 का प्रश्न है किसी भी साक्षी ने अपने साक्ष्य में ऐसा आया है कि अभियुक्त ने सुचक या उसके परिवार के किसी सदस्य को स्वेच्छया बाधा डालकर किसी दिशा में जाने से निवारित कर दिया है। अत : भा0द0वि0 की धारा 341 का आरोप साबित नहीं हुआ है।

जहां तक भा0द0वि0 की धारा 323 का प्रश्न है, प्राथमिकी है कि अभियुक्त अजीत कुमार ने अपने हाथ में लिए लोहे के रड से सुचक के ऊपर वार किया, जिससे उसका सर फट गया। सुचक मुख्य परिक्षण में कहते हैं कि अजीत कुमार रॉड से मार कर मेरा सिर फाड़ दिया। सुचक द्वारा दिखाया गया कि उसके बाएं भौं के पास मारा था। अन्य अभियोजन साक्षियों 1,2,5 तथा 7 ने भी इसका समर्थन किया है। अभियोजन साक्षी सं0–06 चिकित्सक साक्षी ने चिकित्सीय जांच में सुचक के बाएं माथे पर चोट और कटने से बना जख्म पाया, जिसे अभियोजन की ओर से प्रदर्श–10 अंकित कराया गया है। सुचक का जख्मी के निम्न जख्म पाया–(I) CLW (Contused Lacerated Wound) over left forehand size approx (½"X ½"). (II) Pain in Right leg. Caused by: Hard & blunt object. इस जख्म के संबंध में चिकित्सक साक्षी कहते हैं कि Contused Lacerated Wound वैसा जख्म जो फटा हुआ के साथ थुड़ाया / कुचला हुआ होता है जिसमें खुन भी रहता है। इस जख्मी का जख्म से खुन गिरा था और जिसका हमने Dressing and Stitching किया था। प्रतिपरीक्षण में कहते है कि मैनें जख्म प्रतिवेदन पर जख्म का साईज लिखा हूॅं। कितना स्टीच किया था यह बात जख्म प्रतिवेदन पर नहीं लिखा हुआ है। मैनें जख्म का लंबाई और चौड़ाई लिखा हूॅं उसकी गहराई नहीं लिखा हूॅं। जख्म डीप रहता है तो गहराई लिखते हैं। किस तरह का Hard & blunt substance का प्रयोग हुआ है यह भी नहीं लिखा हूॅं। Age of injury लिखा हूॅं। colour of injury नहीं लिखा हूॅं। मैनें उसके जगह पर term "Contused Lacerated Wound" डाला है। CLW injury तेजी से जाते हुए स्पीड में गिरने से, घर्षण से हो सकता है। चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य तथा सुचक के जख्म प्रतिवेदन से सपष्ट है कि

सुचक के सिर पर Contused Lacerated Wound वैसा जख्म हुआ था, जो सुचक, पीड़िता तथा अन्य साक्षियों के साक्ष्य से सपष्ट है कि अभियुक्त अजीत कुमार ने सुचक को रड से मारकर जख्मी किया था। अतः भा0द0वि0 की धारा 323 का आरोप साबित हुआ है।

जहां तक भा0द0वि0 की धारा 376 का प्रश्न है, पीड़िता, सुचक तथा अन्य साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने की बात कही है। पीड़िता ने ग्यारह तारिख के पुर्व अभियुक्त द्वारा उसके साथ गलत करने, बलात्कार करने की बात कही है, लेकिन इसका उल्लेख प्राथमिकी में नहीं है। पीड़िता ने अपने साक्ष्य में दिनांक 11.12.2023 को अभियुक्त द्वारा बलात्कार किए जाने की बात नहीं कही है। पीड़िता ने अपना शारीरिक जांच कराने से भी इंकार किया है, ऐसे में भा0द0वि0 की धारा 376 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। भा0द0वि0 की धारा 354B कहती है कि जो कोई भी किसी महिला को वस्त्रहीन करने के आशय से दाण्डिक बल का प्रयोग करता है या प्रहार करता है या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करता है या वस्त्रहीन होने को बाध्य करता है, वह इस धारा के अधीन दण्डनीय होगा। पीड़िता के साक्ष्य में दिनांक 11.12.2023 को उसे वस्त्रहीन करने के आशय से अभियुक्त द्वारा दाण्डिक बल का प्रयोग करने या वस्त्रहीन होने को बाध्य करने का साक्ष्य नहीं आया है। दिनांक 11.12.2023 के पुर्व पीड़िता का कपड़ा फाड़कर बलात्कार करने और उसका वीडियो बनाने का तथ्य लाया गया है, परन्तु उक्त पेन ड्राईव को वस्तु प्रदर्श नहीं कराया गया है। अतः भा0द0वि0 की धारा 354B का आरोप सभी संदेहों से परे साबित नहीं हुआ है।

जहां तक भा0द0वि0 की धारा 500 का प्रश्न है, किसी भी साक्षी ने अपने साक्ष्य में ऐसा साक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्त के किस प्रकार के कार्य से सुचक के ख्याति की अपहानि करने के आशय से उसके बारे में लांछन लगाया है। प्राथमिकी है कि अभियुक्त और अज्ञात दो लोग धमकी दे रहे थे कि किसी को बताओगे या शोर करोगे तो जान से मार देंगे। पीड़िता साक्ष्य में धमकाकर चला गया कहती है। परन्तु क्या कह कर धमकाया यह नहीं कहा है। सुचक दिनांक 11.12.2023 की रात में हुई घटना के समय अभियुक्त द्वारा धमकी देने की बात नहीं कहते है। अतः भा0द0वि0 की धारा 500 तथा 506 का आरोप सभी संदेहों से परे साबित नहीं हो पाया है।

इस केस में अभियोजन के प्रस्तुत साक्ष्य से पीड़िता के साथ बलात्कार करने का आरोप साबित नहीं हो पाया है, ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमले का आरोप सभी संदेहों से परे साबित नहीं हो पाया है।

जहां तक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 का प्रश्न है, पीड़िता कहती है कि 11 तारिख को बारह बजे रात में अजीत घर में आया, मेरे साथ गलत करने का सोचा। पीड़िता का यह भी कथन है कि दिनांक 11.12.2023 के पुर्व में भी उसके साथ अभियुक्त ने गलत किया था, आस–पास घुम रहा था। अभियुक्त पीड़िता के साथ बार–बार संपर्क करता था, जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11(iv) के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 29 तथा 30 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा तथा आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा के विषय में कहती है। पीड़िता का साक्ष्य है कि अभियुक्त के द्वारा उसे लैंगिक उत्पीड़न दिया गया, अतः लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने की प्रतिरक्षा होगी कि उक्त अपराध के लिए उसकी मानसिक दशा ऐसी नहीं थी। बचाव साक्षियों का साक्ष्य है कि सुचक ने अपनी बड़ी बच्ची की शादी में अजीत कुमार से तीन लाख रुपया कर्ज लिया था, उसी का तगादा अभियुक्त करता था, इस कारण सुचक ने साजिश करके झूठा बलात्कार का आरोप लगाकर झूठा मुकदमा किया है। अभियुक्त अपने सफाई बयान में कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझे झुठा फंसाया गया है। परन्तु अभियुक्त का मात्र यह कहना कि उसने कुछ नहीं किया है और उसे झुठा फंसाया गया

है, यह नहीं दर्शाता है कि उक्त अपराध के लिए उसकी मानसिक दशा ऐसी नहीं थी और वह बारह बजे रात में पीड़िता के घर क्यों गया था। अभियोजन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के आरोप, पीड़िता पर लैंगिक उत्पीड़न करने के आरोप को सभी संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है।

वायरल वीडियो के संबंध में सुचक का कथन है कि जब पीड़िता शौच के लिए सुबह में गई थी तो दो–तीन लड़का थे, जिसमें अजीत को पहचानता हूं, वह पिस्तौल भिड़काकर पीड़िता के साथ रेप किया जिसको पेन ड्राईव में जमा किया गया है। परन्तु अभियोजन की ओर से उस पेन ड्राईव को प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है और न ही उक्त पेन ड्राईव के विडियो के प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है। ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67/67A/67B के आरोपों को भी उचित रुप से साबित नहीं किया गया है।

जहां तक अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(s)/3(2)(va) के आरोपों का प्रश्न हैं, अभियोजन की ओर से यह दस्तावेजी साक्ष्य नहीं लाया गया है कि सुचक और पीड़िता किस अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हैं, और न ही यह तथ्य लाया गया है कि किसी लोक दृष्टि में आने वाले स्थान में अभियुक्त द्वारा उन्हें गाली–गलौज किया गया। ऐसे में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(s)/3(2)(va) के आरोपों को भी उचित रुप से साबित नहीं किया गया है।

आदेश

अतः, न्यायालय अभियुक्त अजीत कुमार को भा0द0वि0 की धारा 341/376/354B/500/506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67/67A/67B एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(s)/3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करती है। जबकि न्यायालय अभियुक्त अजीत कुमार को भा0द0वि0 की धारा 323 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध करती है।

लेखापित एवं संशोधित
तथा खुले न्यायालय में उदघोषित

(इंद्राणी किस्कु)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
–सह–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो
वैशाली, हाजीपुर दिनांक 17 जनवरी 2026

(इंद्राणी किस्कु)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
–सह–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो
वैशाली, हाजीपुर दिनांक 17.01.2026

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम–सह–विशेष न्यायाधीश पोक्सो, हाजीपुर, वैशाली।

SC/ST.S.CASE (GR) No-17/2024

गोरौल थाना काण्ड संख्या–540/2023

राज्य बनाम अजीत कुमार

सजा के बिन्दु पर सुनवाई

19.01.2026 काराधीन अभियुक्त अजीत कुमार को न्यायालय में उपस्थापित किया गया। सजा के बिन्दू पर उभयपक्षों को सुना।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि है। अभियुक्त की आयु कम है। अत्येव अभियुक्त को न्यूनतम दंड दिया जाए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक सजा के बिन्दु पर कहते है कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ जिस तरह का अपराध किया गया है, उसके कारण पीड़िता को मानसिक आघात पहुँचा है। दोषसिद्ध अभियुक्त सहानुभूति के पात्र नहीं है। अत्येव इसे कठोरतम दंड दिया जाय।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख अवलोकन किया। अभिलेख पर अभियुक्त के पूर्व दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः यह अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि मानी जाती है। अभियुक्त द्वारा बालक के विरुद्ध इस तरह का अपराध कारित करने से बालक को मानसिक पीड़ा पहुँचती है। अतः न्यायालय दोषसिद्ध अभियुक्त अजीत कुमार को भा0द0वि0 की धारा 323 अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए तीन माह के साधारण कारावास की सजा देती है। न्यायालय दोषसिद्ध अभियुक्त अजीत कुमार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दो वर्ष एक माह के कठिन कारावास एवं दो हजार रूपया जुर्माना देने का आदेश देती है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त पंद्रह दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। उपरोक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान कारावास में बिताई गई अवधि को सजावधि में समायोजित किया जाएगा। जुर्माना से प्राप्त राशि का भुगतान पीड़िता को किया जाएगा।

कायार्लय दोषसिद्ध अभियुक्त अजीत कुमार के विरुद्ध दोषसिद्ध अधिपत्र निर्गत करें तथा निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान करें ।

कार्यालय निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, वैशाली हाजीपुर को प्रेषित करें ।

(इंद्राणी किस्कु)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
–सह–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो
वैशाली, हाजीपुर दिनांक 19 वीं जनवरी 2026

(इंद्राणी किस्कु)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम
–सह–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो
वैशाली, हाजीपुरदिनांक 19.01.2026

Web copy not official